कार्यालय कलेक्टर/अध्यक्ष शास.नवीन उ.मा.उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा संचालन प्रबंधन समिति जिला –कबीरधाम (छ.ग.)

क्र./3832/अं. माध्यम/प्रतिनियुक्ति/भृत्य/विज्ञापन /2020–21 कबीरधाम दिनांक04.11.2020

विज्ञापन

छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रलय मंहानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक आर/–627/दिनांक 13.06.2020 व संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद शंकर नगर रायपुर के पत्र क्रमांक/अंग्रेजी माध्यम /2019/–20 /741/दिनांक 03.03.2020 एवं छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर का आदेश क्रमांक एफ 23–08/2020/20–3/31/दिनांक 03.07. 2020 में दिये गये निर्देशानुसार जिले में संचालित अंग्रेजी माध्यम के शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) विद्यालय कवर्धा संचालन प्रबंधन समिति द्वारा अस्थाई रूप से प्रतिनियुक्ति/संविदा शिक्षकों एवं गैर शिक्षकीय स्टॉफ के पद पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 04.11.2020से 20.11.20 अपरान्ह 5.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है । निर्धारित तिथि /समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा ।

विज्ञापित पद का विवरण :–

क्र	पद का नाम	पदो की संख्या	संविदा नियुक्ति की स्थिति में मानदेय	प्रतिनियुक्ति की स्थिति में देय वेतन	न्युन्तम योग्यता
1	भृत्य	2	15600/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	8वीं उत्तीर्ण
2	चौकीदार	1	15600/–	प्रतिनियुक्ति के नियमों के अधीन	8वीं उत्तीर्ण
3	अंशकालिन सफाई कर्मी	1	कलेक्टर दर		8वीं उत्तीर्ण

नियम एवं शर्तें :–

1. संविदा नियुक्ति पदों पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है शासन/समिति के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य व्यवहार के आधार पर किसी भी समय सेवा से पदच्यूत की जा सकती हैं।
2. कबीरधाम जिला के मूल निवासी आवेदक ही चयन के लिए पात्र होंगे।
3. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्व प्रमाणित संलग्न कर स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित तिथि तक कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कवर्धा के **आवक/जावक** में स्वीकार किये जाएगें सीधे आवेदन स्वीकार नही किया जावेगा।
4. अपूर्ण एवं त्रटि पूर्ण आवेदन मान्य नहीं किये जावेगें । अमान्य आवेदनों के संबंध में पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
5. आवेदक की उम्र 01 जनवरी 2020 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 50 वर्ष होना चाहिए आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2020 की स्थिति में की जावेगी। उम्र की पुष्टि हेतु 8वीं की अंकसूची प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–सीमा पर जारी छूट संबंधी ओदश/निर्देश संविदा नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।
6. प्रथम वरियता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जावेगी। पर्याप्त संख्या में प्रतिनियुक्ति के आवेदकों के आवेदन प्राप्त न होने की दशा में संविदा भर्ती पर विचार किया जावेगा।
7. भविष्य में शासन के द्वारा उक्त पदों पर भर्ती किए जाने पर यह नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. आपके द्वारा कार्य व्यवहार प्रदर्शन के आधार पर भी आपको रखा/पदच्युत किया जा सकेगा।
9. प्रतिनियुक्ति की दशा में आवेदक को अपने कार्यालय प्रमुख का अनापत्ति प्रामाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।
10. किसी भी समय या किसी भी प्रकार से दस्तावेजों के असत्य पाये जाने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति अमान्य की जा सकेगी।
11. अंतिम चयन सूची निम्नांकित आधार पर बनाई जावेगी।

Scanned by CamScanner

(अ) आठवी कक्षा में प्राप्त अंको पर 100 अंक का वेटेज देते हुये 40 अंक

(ब) दसवी कक्षा में प्राप्त अंको पर 100 अंक का वेटेज देते हुये 20 अंक

(स) बारहवी कक्षा में प्राप्त अंको पर 100 अंक का वेटेज देते हुये 20 अंक

(द) अनुभव – शासकीय संस्थाओं एवं शासकीय अथवा अशासकीय शालाओं में कार्य का अनुभव में प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 05 अंक अधिकतम 20 अंक

12. दावा–आपत्ति हेतु अभ्यार्थियों को एक निश्चित समय दिया जायेगा आवेदन/सूची में त्रुटियों की स्थिति में जिला स्तर पर समितियां इन दावा–आपत्ति का निराकरण कर निर्णय लेगी तथा दावा–आपत्ति एवं पात्र अभ्यार्थियों की सूची जारी करेगी। चयन समिति अभ्यार्थियों के संख्या के आधार पर दस्तावेजों के सत्यापन की तिथि का निर्धारण करेगी तथा दावा–आपत्ति के तिथि के पश्चात किसी भी दावा–आपत्ति को स्वीकार/मान्य नहीं किया जायेगा।

13. उपरोक्त संविदा अवधि 1 वर्ष के लिए होगी।

14. संविदा कर्मचारियों के लिए दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

15. संविदा नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ सिविल सेवा संविदा नियुक्ति नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी ।

16. लिफाफे के उपर आवेदित पद के नाम का स्पष्ट उल्लेख किया जावे अन्यथा आवेदन निरस्त किया जावेगा । जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगी। एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक –पृथक आवेदन करना होगा।

17. आवेदक को आवेदन के साथ 10 रूपये के डाक टिकट के साथ स्वयं का स्थायी पता लिखा हुआ लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

18. राज्य शासन द्वारा उत्कृष्टविद्यालय हेतु समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन पंजीकृत सोसायटी विद्यालय के संचालन व शर्तो से संबंधित नियम/निर्देश जारी करेगी जो सर्व मान्य व सभी के लिए बाध्यकारी होगा ।

19. नियुक्ति हेतु चयन समिति का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।

20. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा पर होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं करेगा ।

21. अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा । आवश्यक होने पर प्रबंधन समिति प्रमाण पत्र की वैधता की जॉच करा सकता है।

22. अनुसूचित जाति/अनु.जन जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यार्थियों ,महिला उम्मीद्वारों के लिए आयु सीमा में शिथिलता हेतु छ.ग. शासन के नियमों के अनुसार छूट की पात्रता होगी ।

23. आरक्षण रोस्टर का पालन किया जावेगा ।

24. संविदा भर्ती में किसी भी प्रकार के आपत्ति/विवाद का निराकरण शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा संचालन प्रबंधन समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

25. आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप जिले के वेबसाईट nic.kawardha.gov.in पर से डाउनलोड कर सकते है।

विशेष :– अद्यतन जानकारी के लिए जिले की वेबसाईट nic.kawardha.gov.in .का नियमित अवलोकन करते रहें ।

कलेक्टर/अध्यक्ष
शास.नवीन उच्च.माध्य.उत्कृष्ट विद्यालय कवर्धा
संचालन प्रबंधन समिति जिला–कबीरधाम
(छ.ग.)

Scanned by CamScanner